न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/442

1. महावीर पुत्र तेजमल जाति माली ।
2. ओमप्रकाश पुत्र तेजमल जाति माली ।
3. सुरेश आत्मज तेजमल जाति माली निवासीगण ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 गजानन्द ।
2. पुष्पचन्द पुत्र स्व0 गजानन्द ।
3. घींसी पुत्री स्व0 गजानन्द जाति माली निवासीगण जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 94 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि स्व0 गजानन्द आत्मज देवलाल की खातेदारी में थी और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उनके पुत्र होने से उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण की खसरा नम्बर 94 की रकबा 0.04 हैक्टर आराजी सडक के किनारे आ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में बदयान्ति आने से वे उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने

पर आमादा हो गये हैं । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर आये दिन वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल कर कब्जा करने तथा उस पर दुकानें निर्माण करने की धमकी देते हैं। बे उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 0.04 हैक्टर से वादीगण को बेदखल नहीं करे, उस पर कब्जा नहीं करे तथा वहाँ दुकान आदि का किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे । वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया जावे तो उन्हें आदेशात्मक आज्ञा से बेदखल कर पूर्ववत स्थिति कायम की जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि इसी आराजी के सम्बन्ध में अन्य वाद पेश किया गया था जो दिनांक 10.02.2014 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा पिता की मृत्यु होने के बाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 27.07.2015 को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है । उक्त वाद रेसजूडीकेटा का असर रखता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर तहसीलादार, लाडपुरा को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजी का उभयपक्षकारान के समक्ष सीमाकंन कर सीमांकन रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने का आदेश पारित किया है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 से 03 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद धारा 188 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम का पूर्व में प्रस्तुत किया गया था जिसका वाद संख्या 22/12 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश 18/12 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था और उसके रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 24.07.2015 को खारिज कर दिया गया था । इसलिए उसी बिन्दु के आधार पर पुनः नया वाद लाने से वादीगण रेस्पोडेन्ट एस्टोप्ड थे और नया वाद रेसजूडीकेटा का असर रखता है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 09.04.2018 को हुई । उसी दिन न्यायालय में आकर पूरी जानकारी प्राप्त की जिस पर पता चला कि उक्त निर्णय के साथ कोई डिक्री नहीं बनायी गई है तो दिनांक 09.04.2018 को ही डिक्री बनाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को डिक्री बनायी गई जिसकी नकल दिनांक

17.07.2018 को प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण के द्वारा पूर्व में भी एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जो खारिज किया गया । रेस्टोरेशन की प्रार्थना भी खारिज कर दी गई है । इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर पुनः नया वाद लाने से वादीगण रेस्पोडेन्ट एटोप्ड थे । नया वाद रेसजूडीकेटा का असर रखता है । पत्रावली दिनांक 20.04.2017 को कायत तनकी के लिए नियत थी । कानूनी तनकी बनाकर उस पर बहस होनी थी परन्तु तनकी कायम नहीं की गई और लोक अदालत में बिना सूचना के प्रकरण को रखकर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी और इसको दिनांक 09.06.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी संख्या 02 पुष्पचन्द की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिनांक को गुणावुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थिति हुए और न ही समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/11/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा